

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1748 /2020 दिनांक 23.09.2020

डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया (RJ0357), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कामां (भरतपुर) को दिनांक 23.03.2020 से 04.07.2020 तक 104 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 22.03.2020 एवं 05.07.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

डॉ. अटवासिया की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01, डीग (भरतपुर)/अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, कामां (भरतपुर) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कामां (भरतपुर) के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से




रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/63/2000/ 4083 दिनांक : 23.09.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 2768 दिनांक 07.07.2020 के सन्दर्भ में ।
3. डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया (RJ0357), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कामां (भरतपुर) ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कामां (भरतपुर)।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम- 01, डीग (भरतपुर) ।
6. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, कामां (भरतपुर) ।


23.9.2020
सहायक रजिस्ट्रार